भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1027

सोमवार, 4 मार्च, 2013/ 13 फाल्गुन, 1934 (शक)

दैनिक मजदूरों को भविष्य निधि की सुविधा

1027. श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दैनिक मजदूरों को भविष्य निधि (पी.एफ.) की सुविधा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या बार-बार अपना कार्यस्थल बदलने वाले ऐसे दैनिक मजदूर भी अपना कार्यस्थल बदलने के बाद अपने जमा धन की निकासी करने में समक्ष होंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल प्रतिष्ठानों में लगे दैनिक वेतन भोगियों सहित सभी पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि (पीएफ) सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

(ख) और (ग):कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं के अंतर्गत शामिल सभी कर्मचारी, अपने कार्य स्थल बदलने के पश्चात, या तो कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा-57 के अंतर्गत अपनी भविष्य निधि जमा राशि को अपने पुराने खाते से विद्यमान खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 69 के अंतर्गत अपनी भविष्य निधि निकाल सकते हैं।

(घ): उपर्युक्त (ख) और (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 971

सोमवार, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 (शक)

भविष्य निधि बकाया चूककर्ता कंपनियां

971. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस प्रकार के निदेश जारी किए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के प्रवर्तन अधिकारी भविष्य निधि बकाये में चूक करने वाली कंपनियों के विरुद्ध तब तक कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक वे यह चिन्हित नहीं कर लेते कि श्रमिकों की जमा राशि खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निदेशों का ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन निदेशों के जारी करने के पश्चात अनेक कंपनियों/संगठनों के विरुद्ध जांच रोक दी गई है क्योंकि प्रवर्तन अधिकारी यह चिन्हित करने में असफल रहे हैं कि श्रमिकों की भविष्य निधि खतरे में है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इन निदेशों पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(क) से (च): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7-क के अन्तर्गत अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दिनांक 30.11.2012 के अपने परिपत्र द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। तथापि, इन्हें ईपीएफओ के दिनांक 18.12.2012 के पत्र द्वारा तुरंत प्रभाव से अगले आदेशों तक आस्थगित रखा गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2200

सोमवार, 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934 (शक)

ई-मेल/एसएमएस द्वारा पीएफ खाते

2200. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभी तक सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों का मासिक ब्यौरा ई-मेल और एसएमएस द्वारा भेजने की योजना को लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(क) से (ग): कर्मचारियों को भविष्य निधि खातों का मासिक विवरण भेजने की प्रास्थिति निम्नानुसार है:

(i) अद्यतन भविष्य निधि (पीएफ) लेखे अगस्त, 2012 से ईपीएफओ की वेबसाइट अर्थात www.epfindia.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं तथा सदस्यों के भविष्य निधि खाते अंशदान की प्राप्ति पर अद्यतन किए जाते हैं। सदस्य कहीं से भी किसी भी समय अपने खातों को देख सकते हैं तथा प्रिन्ट ले सकते हैं।

(ii) अप्रैल, 2012 से नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के लिए लेखा-वर्ष 2010-2011 से वार्षिक खाता पर्चियां डाउनलोड करने की सुविधा है।

(iii) ईपीएफओ सदस्य ईपीएफओ की वेबसाइट पर "अपना ईपीएफ शेष जाने" सुविधा का प्रयोग करके अपनी भविष्य निधि संख्या तथा मोबाइल नं. देकर एसएमएस के माध्यम से ईपीएफ खाते में अद्यतन शेष को प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) ईपीएफ सदस्यों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों का मासिक विवरण फिलहाल ई-मेल के माध्यम से नहीं भेजा जाता है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2217

सोमवार, 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन, 1934 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन

2217. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया था;

(ख) यदि नहीं, तो क्या पेंशनभोगियों ने अपने पेंशन लाभों पर इसके प्रभाव के बारे में शिकायत की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में पेंशनभोगियों और श्रम संगठनों द्वारा की गई शिकायतों के अनुसार कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(क): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 पूर्ववर्ती कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर 16.11.1995 से प्रभाव में आई।

(ख) से (ङ): कुछ सदस्यों तथा श्रमिक संघों ने कर्मचारी पेंशन योजना को भविष्य निधि की तुलना में कम लाभकारी बताते हुए इसको चुनौती दी थी। परंतु 2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अच्छी एवं सफल योजना बताते हुए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को उचित ठहराया था।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4464

सोमवार, 22 अप्रैल, 2013/2 वैशाख 1935 (शक)

ई पी एफ के अंतर्गत ठेकेदार

4464. श्री विश्व मोहन कुमार:

श्री प्रेमदास:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सरकारी ठेकेदारों को भविष्य निधि के दायरे में लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ सांविधिक बचतों को शासित करने वाले कानूनों में प्रमुख परिवर्तन करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख):, अधिनियम की धारा 1(3) (ख) के अधीन प्रावधान के अनुसार 20 या इससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों के वर्गों पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

उपर्युक्त प्रावधान के कारण, अधिनियम पात्र मामलों में सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत ठेकेदारों पर लागू होता है।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का मामला विचाराधीन है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4497

सोमवार, 22 अप्रैल, 2013/2 वैशाख, 1935 (शक)

ईपीएफओ में निवेश-पद्धति

4497. श्री पी लिंगम:
श्री जोस के मणि:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पांच लाख करोड़ रु की अपनी कायिक निधि पर लाभ को बढ़ाने के लिए आगामी वित्त वर्ष से एक नई निवेश पद्धति अपनाने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस हेतु जारी किए जाने वाले नए बॉण्डों में इक्विटी-परिवर्तनीयता संबंधी एक नया प्रावधान शामिल किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या यह निर्णय इक्विटी-निवेश के संबंध में ईपीएफओ की दृढ़ विरोध वाली नीति के विपरीत होगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने 25.02.2013 को हुई अपनी 201वीं बैठक में वित्त मंत्रालय के निवेश की 2008 पद्धति को इक्विटी में निवेश के बिना अंगीकार करने की सिफारिश की। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ): प्रचलित बांड निवेशों में इक्विटी परिवर्तनीयता खंड नहीं होता। तथापि, यदि भावी बांड इश्यूज में इक्विटी परिवर्तनीयता खंड समाविष्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे बांडों में निवेश संबंधी निर्णय सरकार द्वारा सीबीटी (ईपीएफ) के परामर्श से अनुमोदित निवेश-दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाएगा।

(ड.): ऊपर भाग (ग) और (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4499

सोमवार, 22 अप्रैल, 2013/2 वैशाख, 1935 (शक)

आरओसी सुविधा का हटाया जाना

4499. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत पेंशनरों को उपलब्ध पूंजी वापसी (आरओसी) सुविधा हटा ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिहाज से अपने उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): जी, हां। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का पैरा 13 जिसने पूंजी वापसी (आरओसी) का विकल्प दिया, उसका साकानि सं. 688(अ) दिनांक 26 सितम्बर, 2008 द्वारा लोप कर दिया गया था।

(ग): जी, नहीं।

(घ): ऊपर प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4470

सोमवार, 22 अप्रैल, 2013/2 वैशाख 1935 (शक)

औद्योगिक प्रतिष्ठान में कामगार

4470. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों/श्रमिकों का आज की तिथि तक राज्य-वार एवं कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन कामगारों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए कोई स्कीम तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उक्त स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित हुए कामगारों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या ऐसे कामगारों का विभिन्न संस्थाओं में लगातार शोषण किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों संबंधी आंकडे केन्द्रीय रूप से नहीं बनाए गए है।

(ख): संगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पांच अधिनियम बनाए गए हैं:-

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948
2. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
3. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
4. प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961
5. उपदान संदाय अधिनियम, 1972

(ग): इन स्कीमों से लाभान्वित होने वाले कामगारों की संख्या के संबंध में आंकडों का संग्रह किया जा रहा है।

(घ) और (ङ): कामगारों के अधिकारों के हनन के मामले में इन कामगारों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार विवाद उठाया जा सकता है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5386

सोमवार, 29 अप्रैल, 2013/9 वैशाख, 1935 (शक)

केन्द्रीय पी. एफ. निस्तारण

5386. श्री संजय निरूपम:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि के निस्तारण के लिए भविष्य निधि के लिए केन्द्रीय मंजूरी निस्तारण कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंजूरी कार्यालय सभी दावों की आयकर विभाग के केन्द्रीय प्रक्रिया केन्द्र के तदनुरूप कार्रवाई और स्थानान्तरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से करेगा; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): जी, नहीं।

(ख) से (घ): उपुर्यक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6256

सोमवार, 6 मई, 2013/16 वैशाख, 1935 (शक)

वेतन की कटौती

6256. श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं से कर्मचारियों के अंशदान को उनके सकल वेतन से काटने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन नियोक्ताओं तथा कर्मचारी संघों की संख्या कितनी है जिन्होंने ईपीएफओ के प्रस्ताव पर आपत्ति उठाई है;

(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे के सौहार्द पूर्ण ढंग से समाधान तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के भार को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) से (च): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के परिपत्र के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 में यथा उपबंधित "मूल मजदूरी" की सांविधिक परिभाषा को पुन: दुहराया है।

हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस) और दक्षिण भारत के नियोक्ता परिसंघ से उक्त परिपत्र के विरोध में कई संदर्भ प्राप्त हुए। सेंटर फार इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) एवं पीएचडी चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (पीएचडीसीसीआई) से इस परिपत्र के समर्थन में भी कुछ संदर्भ प्राप्त हुए। उक्त परिपत्र तब से स्थगित रखा गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6372

सोमवार, 6 मई, 2013/16 वैशाख, 1935 (शक)

न्यूनतम पेंशन का निर्धारण

6372. श्री पी. सी. गद्दीगौदर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)- 95 के अनुसार पेंशन निर्धारित की जाती है;

(ख) क्या पारिवारिक पेंशन योजना (एफपीएस) संबंधी पूर्व सेवाओं और ईपीएस-95 के अंतर्गत वर्तमान सेवाओं के संबंध में भी दो पृथक न्यूनतम पेंशन भी निर्धारित की जानी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपर्युक्त उपबंधों का कार्यान्वयन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): जी, हां। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)-95 के सदस्य पेंशनरों की पेंशन योजना के उपबंधों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

(ख): जी, नहीं।

(ग) से (घ): प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): न्यूनतम पेंशन केवल विद्यमान सदस्यों अर्थात् जो कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लागू होने के समय कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे, पर ही लागू होती है। तद्नुसार, सर्वप्रथम पेंशन योग्य सेवा तथा पेंशन योग्य वेतन के आधार पर कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में दिए गए न्यूनतम के अध्यधीन फार्मूला पेंशन की गणना की जाती है। तत्पश्चात, पीछे की सेवा का लाभ 16-11-1995 से पहले की सेवा के लिए जोड़ दिया जाता है। अंतिम रुप में इस तरह से बनी औसत पेंशन अर्थात् फार्मूला पेंशन + पीछे की सेवा का लाभ कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में दिए गए न्यूनतम के अध्यधीन है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1108

सोमवार, 4 मार्च, 2013/ 13 फाल्गुन, 1934 (शक)

ईपीएफ निपटान में लंबित मामले

1108. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:**
श्री निशिकांत दुबे:
श्री संजय धोत्रे

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निपटान हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लंबित मामलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) इतने मामलों के लंबित रहने के क्या कारण है;
(ग) लंबित दावों के त्वरित निपटान के लिए क्या कार्रवाई की गई तथा इसके क्या परिणाम रहे;
(घ) क्या सरकार का ईपीएफ संगठन के कार्यकरण की समीक्षा का प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान निपटान के लिए लंबित ईपीएफ मामलों की संख्या संबंधी राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ख): दावों का लंबित होना पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक संख्या में दावों की प्राप्ति के कारण है।

(ग): दावों के निपटान की गति में सुधार किए जाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

- नियोक्ताओं के लिए ईसीआर (इलैक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिर्टन) का प्रावधान किया है ताकि वे अपनी विवरणी इलैक्ट्रॉनिक रूप से दायर कर सकें। इससे मासिक आधार पर सदस्यों के खातों के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया में गति आई है।

- राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) की शुरूआत की गयी है ताकि दावों के निपटान की प्रक्रिया तेज की जा सके।
- निपटान की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है।
- निपटान के अनुमोदन के लिए वर्तमान के तीन स्तरों को घटाकर दो स्तर कर दिया गया है।
- निपटान का अनुवीक्षण प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ-साथ मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाता है।
- सभी क्षेत्र के कार्यालयों को लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा करने और उन्हें 30 दिनों के भीतर दावों को निपटाने के सभी प्रयास करने के निदेश दिए जाऐ हैं।

(घ) और (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यचालन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। सरकार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के साथ समय-समय पर परामर्श करते हुए संगठन के कार्यचालन की समीक्षा करती है और समुचित सुधारात्मक उपाय करती है।

****

अनुबंध

श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े, श्री निशिकांत दुबे और श्री संजय धोत्रे द्वारा दिनांक 04.03.2013 को ईपीएफ निपटान में लंबित मामले संबंधी पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1108 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष (25.02.2013 तक) में निपटान के लिए लंबित कर्मचारी भविष्य निधि मामलों की राज्य-वार संख्या

क्रम संख्या	राज्य	वित्तीय वर्ष 2009-10	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13 (01.04.2012 से 25.02.2013 तक)
1	आंध्र प्रदेश	53888	19693	37510	55705
2	बिहार	65	3782	3081	2851
3	छत्तीसगढ	66	67	109	3570
4	दिल्ली	69163	124406	71510	39327
5	गोवा	413	9643	1849	3667
6	गुजरात	42477	40156	18370	29614
7	हरियाणा	97815	56054	30056	29442
8	हिमाचल प्रदेश	0	2874	1908	2642
9	झारखण्ड	3758	3377	4676	4207
10	कर्नाटक	55021	131843	80442	82806
11	केरल	3397	13339	12885	13199
12	मध्य प्रदेश	3603	3365	14	483
13	महाराष्ट्र	231718	99661	160614	136399
14	*पूर्वोत्तर क्षेत्र	322	3110	1543	1941
15	उड़ीसा	7342	1730	5011	9571
16	पंजाब	4607	11670	5531	10155
17	राजस्थान	10907	6636	5197	7032
18	तमिलनाडु	104270	72165	83179	78302
19	उत्तर प्रदेश	3577	27809	21592	18115
20	उत्तराखण्ड	9392	3683	7969	6590
21	पश्चिम बंगाल	21663	39107	16533	49551
कुल		723464	674170	569579	585169

* पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम शामिल हैं।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1035

सोमवार, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 (शक)

भविष्य निधि अंशदान की अधिकतम सीमा

1035. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री के. सुधाकरण:
श्री जोस के. मणि:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवार्य भविष्य निधि अंशदान की कोई अधिकतम सीमा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) अधिकांश कामगार अनिवार्य भविष्य निधि (पी एफ) की परिधि से पहले ही बाहर हैं क्योंकि अधिकांश सैक्टरों में न्यूनतम मजदूरी 6500 रुपए प्रतिमाह से अधिक है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) 8.25 प्रतिशत ब्याज दर देता है जबकि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) हिस्सेदारी और कारपोरेट कर्ज में 1.4 प्रतिशत औसत लाभ देता है और सरकारी बांडों हेतु 10 प्रतिशत से अधिक का लाभ देता है;
(च) यदि हां, तो हिस्सेदारी और कारपोरेट कर्ज तथा सरकारी बांडों में निवेश करने के लिए ईपीएफओ को अनुमति देने का विचार है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): जी, हां।
(ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के अंतर्गत अनिवार्य भविष्य निधि अंशदानों हेतु मजदूरी की अधिकतम सीमा 6500/- रुपये है।
(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा मजदूरी की अधिकतम सीमा से बाहर के कामगारों संबंधी सूचना नहीं रखी जाती।

(ड.): कर्मचारी भविष्य निधि धन राशि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 2003 की निवेश पद्धति के अनुसार निवेश की जाती है जो केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों, राज्य सरकार प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बॉड्स और निजी क्षेत्रों में निवेश की अनुमति देती है।

ईपीएफओ निधि पर होने वाले लाभों की नई पेंशन योजना जैसी अन्य पेंशन योजनाओं पर होने वाले लाभों से तुलना करना मुश्किल है। एनपीएस पर लाभ की घोषणा एनपीएस द्वारा निर्धारित लेखांकन नीति के आधार पर होती है जो निवेशों के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर घोषित की जाने वाले एनएवी की अनुमति देती है। जबकि ईपीएफओ अपने निवेश के लेखाकरण हेतु निवेश की लागत मूल्य का पालन करता है और लाभ निवेशों पर ब्याज की वास्तविक प्राप्ति के आधार पर घोषित किया जाता है। ईपीएफओ निवेशों पर लाभ नियत होते हैं जबकि एनपीएस पर लाभ नियत नहीं होते तथा प्रचलित बाजार स्थितियों पर निर्भर रहते दैनिक आधार पर ऊपर नीचे होते रहते है।

(च) और (छ): जी, नहीं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 928

सोमवार, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 (शक)

निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

928. **श्री मनोहर तिरकी:**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में निजी क्षेत्र के कामगारों को सेवानिवृत्ति के समय उपदान-राशि (ग्रेच्युटी) उपलब्ध कराने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे राज्य-वार कितने कामगारों को लाभ पहुंचने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का निजी क्षेत्र के कामगारों/श्रमिकों को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्यचर्या सुविधाएं व सुरक्षा उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राज्य-वार कितने कामगारों को लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने-कितने कारखानों/इकाइयों/संगठनों/स्थापनों को कर्मचारी अविष्य निधि संगठन के दायरे में लिया गया?

उत्तर

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(क): उपदान का भुगतान नियोक्ता का उत्तरदायित्व है। अत: निजी क्षेत्र के कामगारों को उपदान उपलब्ध कराने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ख): उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): निजी क्षेत्र में कार्यरत कामगारों/श्रमिकों को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बहुत से सामाजिक सुरक्षा विधान पहले से ही विद्यमान हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ (i) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, (ii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, (iii) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, (iv) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 तथा (v) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 शामिल हैं। इन विधानों के अन्तर्गत लाभान्वित कामगारों की संख्या केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती।

(ङ): गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) के दौरान ईपीएफओ के अन्तर्गत राज्य-वार शामिल प्रतिष्ठानों के संबंध में सूचना संलग्न है।

*****

अनुबंध

निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के बारे में श्री मनोहर तिरकी, श्री नृपेन्द्र नाथ राय तथा श्री नरहरि महतो द्वारा दिनांक 04.03.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 928 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) के दौरान

राज्य-वार शामिल प्रतिष्ठान

राज्य	अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 के दौरान शामिल	अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 के दौरान शामिल	अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 के दौरान शामिल	अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 के दौरान शामिल
आंध्र प्रदेश	3111	3488	3409	3001
बिहार	700	884	558	314
छत्तीसगढ़	597	767	722	701
दिल्ली	2492	2509	1711	1772
गोवा	235	223	224	165
गुजरात	3532	3816	3923	3037
हरियाणा	2522	2275	2004	1916
हिमाचल प्रदेश	379	400	444	298
झारखंड	731	855	711	555
कर्नाटक	3024	3388	3299	2821
केरल	1149	1062	1176	764
मध्य प्रदेश	1599	1503	1373	1497
महाराष्ट्र	6949	8637	5919	5334
पूर्वोत्तर क्षेत्र	771	676	597	512
उड़ीसा	1107	1379	1059	1341
पंजाब	2003	1974	1883	1255
राजस्थान	1933	1509	1617	1212
तमिलनाडु	4426	4693	4845	4004
उत्तर प्रदेश	3024	3383	3145	2311
उत्तराखंड	522	705	462	406
पश्चिम बंगाल	1838	2237	2035	1710
कुल	**42644**	**46363**	**41116**	**34926**

*****

अनुबंध

निष्क्रिय ईपीएफ खाते से संबंधित श्री खगेन दास द्वारा पूछे गए 04.03.2013 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1070 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

कर्मचारी भविष्य निधि में 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 'निष्क्रिय खातों' के रूप में वर्गीकृत धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	राशि
1	आंध्र प्रदेश	1,797.39
2	बिहार	204.21
3	छत्तीसगढ़	342.36
4	दिल्ली	6.66
5	गोवा	120.84
6	गुजरात	1,012.42
7	हरियाणा	1,061.85
8	हिमाचल प्रदेश	178.09
9	झारखण्ड	0.05
10	कर्नाटक	1,174.21
11	केरल	0.22
12	मध्य प्रदेश	488.80
13	महाराष्ट्र	7,427.35
14	*पूर्वोत्तर राज्य	173.72
15	उड़ीसा	282.49
16	पंजाब	1,660.19
17	राजस्थान	744.47
18	तमिलनाडु	2,433.42
19	उत्तराखण्ड	142.53
20	उत्तर प्रदेश	2,051.93
21	पश्चिम बंगाल	1,333.38
	कुल	**22,636.57**

*असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम से युक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1070

सोमवार, 4 मार्च, 2013/13 फाल्गुन, 1934 (शक)

निष्क्रिय ईपीएफ खाते

1070. श्री खगेन दास:

क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास राज्य-वार कितने खाते निष्क्रिय हैं;

(ख) क्या उक्त सभी खातों के निश्चित दावेदार हैं;

(ग) यदि हां, तो सही दावेदारों को उक्त राशि के संवितरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितने खातों का

निपटान किया गया है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): निष्क्रिय खाते की सदस्य-वार खाते से संबंधित सूचना ईपीएफओ में केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

'निष्क्रिय खाते' के रूप में वर्गीकृत धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ख) और (ग): जी, हां। सही दावेदार को भुगतान सुनिश्चित करने की दृष्टि से, निम्नलिखित सावधानियां बरती जाती हैं:

(i) खातों के अद्यतनीकरण/अंतरण का लंबित बकाया पिछले दो वित्तीय वर्षों में अग्रता से लिया गया है जो निष्क्रिय खाते से धनराशि का अद्यतन सक्रिय खाते में पुनः आवंटन कर देता है।

(ii) जहां प्रतिष्ठान प्रचालन में हैं, वहां प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दावा फार्मों का अधिप्रमाणन अनिवार्य बना दिया गया है ।

(iii) उन मामलों में जिनमें नियोक्ता उपलब्ध नहीं हो, सदस्य का पता लगाने के लिए बैंक के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) के अंतर्गत यथापेक्षित दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज के साथ-साथ बैंक प्राधिकारियों द्वारा अधिप्रमाणन पर बल दिया जाता है।

(घ): निष्क्रिय खातों में से निपटाये जा चुके खातों की संख्या से संबंधित जानकारी अलग से नहीं रखी जाती।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

...

तारांकित प्रश्न संख्या 557

सोमवार, 6 मई, 2013/16 वैशाख, 1935(शक)

कामगारों को भविष्य निधि की सुविधाएं प्रदान किया जाना

557. श्री हंसराज गं अहीर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिस नियोक्ता के पास 20 से अधिक कामगार कार्यरत होते हैं उसे भविष्य निधि योजना के लाभ कामगारों को देने होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में उद्योगों और व्यापारिक कंपनियों द्वारा कामगारों को भविष्य निधि के लाभ न दिये जाने के मामले आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री मल्लिकार्जुन खरगे)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'कामगारों को भविष्य निधि की सुविधाएं प्रदान किया जाना' से संबंधित श्री हंसराज गं. अहीर द्वारा 06.05.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 557 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): अधिनियम की अनुसूची -1 में विनिर्दिष्ट 20 अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाले किसी उद्योग में लगे ऐसे सभी कारखाने/प्रतिष्ठान तथा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठानों के ऐसे वर्ग कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में आते हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों के सभी पात्र कर्मचारियों को नामांकित किया जाता है और उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा योजना, 1976 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रसुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) से (ङ): जैसे ही ऐसे मामलों का पता चलता है, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं में उपबंधित कार्रवाई चूक कर्त्ता नियोक्ताओं के विरूद्ध शुरू की जाती है। इस अधिनियम तथा योजनाओं के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं के विरूद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-'क', 'ख' और 'ग' में है।

****

अनुबंध-क

'कामगारों को भविष्य निधि की सुविधाएं प्रदान किया जाना' से संबंधित श्री हंसराज गं. अहीर द्वारा 06.05.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 557 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत आकलन मामलों की शुरूआत और निपटान

क्र.सं.	क्षेत्र	वर्ष के प्रारम्भ में सुनवाई के अधीन जांचें	इस अवधि के दौरान शुरू की गई जांचें	इस अवधि के दौरान निपटाई गई जांचें	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले
1	आंध्र प्रदेश	1738	2466	2854	1350
2	बिहार	785	55	134	706
3	छत्तीसगढ	97	91	121	67
4	दिल्ली	810	107	59	858
5	गोवा	99	66	75	90
6	गुजरात	1627	310	820	1117
7	हरियाणा	836	449	754	531
8	हिमाचल प्रदेश	328	176	251	253
9	झारखण्ड	383	175	172	366
10	कर्नाटक	1344	1528	1695	1177
11	केरल	393	2882	2744	531
12	मध्य प्रदेश	1025	637	843	819
13	महाराष्ट्र	3617	802	1206	3213
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र	453	94	198	349
15	ओडिशा	769	303	480	592
18	पंजाब	1038	1077	902	1213
17	राजस्थान	855	323	852	326
18	तमिलनाडु	1342	6825	6800	1367
19	उत्तर प्रदेश	2106	922	1195	1833
20	उत्तरांचल	231	8	15	222
21	पश्चिम बंगाल	1443	321	491	1273
	कुल	**21299**	**19615**	**22661**	**18253**

अनुबंध ख

'कामगारों को भविष्य निधि की सुविधाएं प्रदान किया जाना' से संबंधित श्री हंसराज गं. अहीर द्वारा 06.05.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 557 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न न्यायालयों के समक्ष दाखिल 406/409/आईपीसी मामलों का ब्यौरा

क्रम संख्या	क्षेत्र	कार्य का भार	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	कुल निर्णीत मामले	न्यायालयों में कुल लंबन
1	आंध्र प्रदेश	68	0	0	68
2	बिहार	6	0	0	6
3	छतीसगढ	0	0	0	0
4	दिल्ली	0	0	0	0
5	गोवा	85	0	0	85
6	गुजरात	759	0	0	759
7	हरियाणा	0	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
9	झारखण्ड	25	0	0	25
10	कर्नाटक	8	0	0	8
11	केरल	7	0	0	7
12	मध्य प्रदेश	2	0	0	2
13	महाराष्ट्र	90	5	5	85
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र	17	0	0	17
15	औडिशा	49	0	0	49
18	पंजाब	19	0	0	19
17	राजस्थान	68	1	1	67
18	तमिलनाडु	29	0	0	29
19	उत्तर प्रदेश	48	0	0	48
20	उत्तरांचल	0	0	0	0
21	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
	कुल	1280	6	8	1274

'कामगारों को भविष्य निधि की सुविधाएं प्रदान किया जाना' से संबंधित श्री हंसराज गं. अहीर द्वारा 06.05.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 557 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन की संख्या

क्रम संख्या	क्षेत्र	मामलों की संख्या
1	आंध प्रदेश	46
2	बिहार	97
3	छत्तीसगढ	1
4	दिल्ली	0
5	गोवा	18
8	गुजरात	61
7	हरियाणा	0
8	हिमाचल प्रदेश	67
9	झारखण्ड	2
10	कर्नाटक्	600
11	केरल	116
12	मध्य प्रदेश	39
13	महाराष्ट्र	2032
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र	7
15	ओडिशा	55
16	पंजाब	249
17	राजस्थान	1
18	तमिलनाडु	49
19	उत्तर प्रदेश	264
20	उत्तरांचल	0
21	पश्चिम बंगाल	189
	कुल	3893

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6236

सोमवार, 6 मई, 2013/16 वैशाख, 1935 (शक)

ई पी एफ ओ का कार्यकरण

6236. श्री पी.सी.गद्दीगौदर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज तक कर्मचारी पेंशन योजना (ई पी एस) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) सदस्यों और पेन्शनरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की वर्तमान संरचना क्या है;

(ग) न्यासियों की संरचना और संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है;

(घ) क्या मौजूदा भविष्य निधि सदस्यों/पेन्शनरों को कोई प्रतिनिधित्व दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) भविष्य निधि में कर्मचारियों, नियोजनकर्ताओं और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले अंशदान की वर्तमान दर क्या है; और

(च) आज तक कर्मचारी पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल कितनी अंशदान राशि प्राप्त हुई है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किए गए निवेशों और उन पर मिले ब्याज का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि में कुल सदस्यों की संख्या 8.55 करोड़ और कर्मचारी पेंशन के तहत पेंशनधारकों की कुल संख्या 41.03 लाख है।

(ख) और (ग): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि का वर्तमान संघटन संलग्न है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि का संघटन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 की धारा 5क के अनुसार है।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 की धारा 5क की उपधारा (1) के खंड (ड.) के अनुसार प्रतिष्ठान में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे 10 व्यक्तियों, जिन पर योजना लागू होती है, की नियुक्ति केन्द्र सरकार की ओर से उसके द्वारा यथा अधिकृत कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से परामर्श के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

(ङ.): कर्मचारी एवं नियोक्ता भविष्य निधि में क्रमशः 12% और 3.67% की दर से अंशदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता एवं केन्द्र सरकार पेंशन निधि में क्रमशः 8.33% तथा 1.16% की दर से अंशदान करते हैं।

(च): वर्ष 2011-12 के लिए ईपीएफओ का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना,1995 में 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 162980.03 करोड़ रुपये की राशि मौजूद है।

अद्यतन आंकड़ों के अनुसार (असमायोजित), कर्मचारी पेंशन योजना,1995 में 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 183,405.36 करोड़ रुपये की राशि (प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर) मौजूद है, जिसके विवरण इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	श्रेणी	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	43,475.28
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	21,690.92
3.	सरकार की गारंटी वाली प्रतिभूतियां	4,640.30
4.	विशेष जमा योजना	1,400.52
5.	लोक लेखा	63,593.44
6.	सार्वजनिक क्षेत्र	39,255.64
7.	निजी क्षेत्र	9,349.26
कुल		183,405.36

पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान इन पर प्राप्त ब्याज की राशि निम्नवत है:-

वर्ष	ब्याज राशि (करोड़ रुपये में)
2009-10	9,532.34
2010-11	10,888.49
2011-12	13,315.80
2012-13	14,416.65 (गैर-लेखा परीक्षित)

******

अनुबंध

ई पी एफ ओ का कार्यकरण संबंधी श्री पी.सी.गद्दीगौदर द्वारा दिनांक 06.05.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6236 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफ) के सदस्यों की आदिनांक सूची

(क) धारा 5क की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत नियुक्त	
1.	अध्यक्ष
	श्रम एवं रोजगार मंत्री
2.	उपाध्यक्ष
	श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(ख) धारा 5-क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि (सदस्य)	
3.	सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
4.	अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार
5.	संयुक्त सचिव, सामाजिक सुरक्षा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
6.	वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, भारत सरकार
7.	वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
(ग) धारा 5-क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रतिनिधि (सदस्य)	
8.	सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार
9.	सचिव, असम सरकार के श्रम एवं रोजगार
10.	सचिव, बिहार सरकार के श्रम एवं रोजगार
11.	सचिव, गुजरात सरकार के श्रम एवं रोजगार
12.	सचिव, हरियाणा सरकार के श्रम एवं रोजगार
13.	सचिव, कर्नाटक सरकार के श्रम विभाग
14.	प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार
15.	सचिव, महाराष्ट्र सरकार के श्रम एवं उर्जा
16.	सचिव, ओडिशा सरकार के श्रम एवं रोजगार
17.	सचिव, पंजाब सरकार के श्रम एवं रोजगार
18.	सचिव, राजस्थान सरकार के श्रम एवं रोजगार
19.	सचिव, तमिलनाडु सरकार के श्रम एवं रोजगार
20.	सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार
21.	सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम एवं रोजगार
22.	सचिव, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार, श्रम विभाग

(घ) धारा 5-क की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रतिनिधि (सदस्य)	
23.	श्री जे.पी. चौधरी, अखिल भारतीय नियोक्ता संघ, (भारतीय नियोक्ता परिषद)
24.	श्री राम एस. तरनेजा, भारतीय नियोक्ता परिसंघ, (भारतीय नियोक्ता परिषद)
25.	श्री शरद पाटिल, भारतीय नियोक्ता परिसंघ, (भारतीय नियोक्ता परिषद)
26.	श्री यू.डी.चौबे, महानिदेशक, स्कोप (भारतीय नियोक्ता परिषद)
27.	श्री संतोष सर्राफ, एसोचैम
28.	श्री सुशांता सेन, भारतीय उद्योग संघ
29.	श्री बी.पी. पंत, फिक्की
30.	श्री बाबू लाल तोडी, एआईएमओ
31.	श्री बदीश जिंदल, (एफएएसआईआई)
32.	श्री रवि विज, पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज
(ङ.) धारा 5-क की उपधारा (1) के खंड (ङ.) के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रतिनिधि (सदस्य)	
33.	श्री गिरीश अवस्थी, बीएमएस
34.	श्री बैजनाथ राय, बीएमएस
35.	श्री एम जगदीश्वर राव, बीएमएस
36.	श्री जी.संजीवा रेड्डी, इंटक
37.	श्री अशोक सिंह, इंटक
38.	श्री डी.एल सचदेव, एटक
39.	श्री ए.डी नागपाल, एचएमएस
40.	श्री ए.के.पद्मनाभन, सीटू
41.	श्री शंकर साहा, यूटक(एलएस)
42.	श्री रमन पाण्डेय, इंटक
धारा 5-क की उपधारा (1) के खंड (कक) के अंतर्गत नियुक्त	
43.	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त – पदेन सदस्य

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6349

सोमवार, 6 मई, 2013/16 वैशाख, 1935 (शक)

परिसमाप्त कंपनियों द्वारा बकाये का भुगतान न किया जाना

6349. श्री एम. कृष्णास्वामी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बंद/परिसमाप्त कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के भविष्य निधि के बकाये का भुगतान उक्त मिलों द्वारा लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त बकाये का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): जी, हां।

(ख): ऐसे बकायों का विवरण संलग्न है। परिसमापन से ग्रसित प्रतिष्ठानों के मामले में बकायों की वसूली अधिकारिक परिसमापक द्वारा परिसमापन की प्रक्रिया के पूरा न होने के कारण लंबित है। बंद प्रतिष्ठानों के मामले में कानूनी विवादों के कारण वसूली में विलम्ब हो जाता है।

(ग): बंद प्रतिष्ठानों के खिलाफ बकायों की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

1. बकायों का पता लगाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत जांच की सूचना।
2. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत वसूली उपाय/आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची के उपबंध, जिनमें शामिल हैं:
   i) चल एवं अचल संपत्ति की कुर्की।
   ii) प्राप्तकर्त्ता की नियुक्ति।
   iii) चूककर्त्ताओं की गिरफ्तारी।
3. अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत विलम्ब से विप्रेषित धन पर हर्जाने की उगाही।
4. अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले दायर करना।

परिसमापनाधीन प्रतिष्ठानों के संबंध में भविष्य निधि बकायों को जारी करने के लिए अधिकारिक परिसमापक के समक्ष दावे दायर किये गए हैं।

अनुबंध

परिसमाप्त कंपनियों द्वारा बकाये का भुगतान न किए जाने के संबंध में श्री एम. कृष्णास्वामी द्वारा दिनांक 6.5.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6349 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

देश में (राज्य-वार) बंद/परिसमापित कपड़ा मिलों तथा ऐसी मिलों के बकायों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	बंद/परिसमापित कपड़ा मिलों की संख्या	बकाया (राशि लाख रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	18	288.32
2.	बिहार	04	163.91
3.	गुजरात	46	1472.01
4.	हरियाणा	27	181.39
5.	कर्नाटक	04	38.59
6.	केरल	06	148.11
7.	महाराष्ट्र	27	197.82
8.	मध्य प्रदेश	14	1716.29
9.	उड़ीसा	16	3152.25
10.	पंजाब	14	1.82
11.	राजस्थान	29	57.52
12.	तमिलनाडु	39	4919.11
13.	उत्तराखण्ड	01	32.65
14.	पश्चिम बंगाल	08	1412.72
15.	उत्तर प्रदेश	19	2933.07
16.	छत्तीसगढ़	02	5.77
	कुल	274	**16721.35**

*****